Acm Order

फर्द अहकाम

बन्नेसिंह बनाम रामनिवास

न्यायालय

संख्या 4/23 ऊगा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में समय दिया जाता है। आ.ता. पेशी पर उभयपक्ष आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु दिनांक 2/8/2024 को पेश हो। बहस नहीं करने पर प्रा०पत्र गुणावगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया जावेगा। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	2/8/24	पत्रावली आज दिनांक 2/8/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 14/8/24 को पेश हो।	
	14/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र बाजदावरी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र बाजदावरी ~~स्वीक~~ 1500/- की कॉस्ट पर स्वीकार कि जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। मूलवाद संख्या 167/2012 बडुनवानी बन्ने बनाम रामनिवास पुन: नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. संख्या – 4/2023 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक – 14.07.2023

बन्ने सिंह बनाम रामनिवास

बाजदायरी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अजय सैनी – अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 29.08.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि माननीय न्यायालय हाजा में एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के तहत घोषणा, दुरूस्ती इंद्राज व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था जो वाद संख्या 167/2012 बउनवानी बन्ने सिहं बनाम रामनिवास वगैराह विचारधीन रहते हुए दिनांक 27.12.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। प्रार्थीगण–वादीगण अपने उक्त वाद की पैरवी जरिये अधिवक्ता कर रहे थे और उनके अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को हिदायत दी कि राजस्व प्रकरण में पक्षकार को हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वाद अभी तलबी में ही है जब अप्रार्थीगण के जवाब दावे आदि कार्यवाही पूरी हो जायेगी तब आपको सूचित करके बुला लिया जायेगा। प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता की राय से संतुष्ट हो गये और अपने कार्यों में व्यस्त रही। चूंकि प्रार्थीगण एक ग्रामीण परिवेश की काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थी भवानीसिंह की प्रकरण की देखरेख करता था वह अचानक नवम्बर 2022 में गंभीर रूप से बीमार हो गया, तथा चलने फिरने में कतई असमर्थ रहा जांच कराने पर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मालूम हुआ कि पैर में नस का ऑपरेशन एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर में दिनांक 27.01.2023 को हुआ तथा उसको दिनांक 10.02.2023 को हॉस्पीटल से डिस्चार्ज किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने टेलिफोन का सॉफ्टवेयर चैंज करवाया था उसमें सारे नंबर हट गये जिस कारण प्रार्थी को सुचित नहीं कर सकें, ना ही पत्रावली पर टेलिफोन नंबर थे। साक्ष्य हेतु प्रार्थी का आने का इंतजार करते रहे। किंतु न्यायालय ने अंतिम अवसर दे दिया तथा उसके बाद वाद दिनांक 27.12.2022 को खारिज कर दिया। जिससे वादी/प्रार्थीगण अपने साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी साबित नहीं कर पाया। प्रार्थी वाद ने अपना शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में बीमारी होने से पूर्व में पेश कर दिया था जिसे पत्रावली जिरह हेतु नियत थी। लेकिन गवाह नहीं आने से जिरह बंद कर दी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता प्रार्थी के नहीं आने से उपस्थित नहीं हुये, जो सद्भाविक कारण है। प्रार्थी के वाद को पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायहित में है। प्रार्थीगण अपनी सद्भाविक गलती का हर्जा भुगतने को तैयार है। प्रार्थी जैसे ही स्वस्थ हुआ स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश की। जिससे प्रार्थीगण की कोई बदनियति नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व वाद संख्या 167/2012 बउनवानी बन्नेसिंह बनाम रामनिवास वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 को अपास्त किया जाकर उक्त वाद को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें अंकित किया कि मद संख्या 1 स्वीकार है। मद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र दिनांक 26.07.2021 को साक्ष्य वादी के लिए नियत था, दिनांक 20.09.2021 की तारीख दी गयी थी, फिर दिनांक 15.12.2021 को वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य हेतु समय चाहा, न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 11.05.2022 को पी.डब्ल्यु–1 भवानी सिंह का साक्ष्य

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

का शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह हेतु दिनांक 26.05.2022 को पेश हो। दिनांक 26.05.2022 को गवाह उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 16.06.2022 को गवाह उपस्थित, वादी ने संशोधित उनवान पेश किया, आगामी तारीख पेशी पर गवाह को उपस्थित होने के लिए कहा गया। दिनांक 24.06.2022 को वादी अधिवक्ता की तबीयत सही नहीं होने से पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 18.08.2022 को साक्ष्य पेश करने के लिए समय चाहा, दिनांक 13.09.2022 को साक्ष्य वादी के लिए फिर समय चाहा, पत्रावली दिनांक 07.03.2017 से साक्ष्य वादी नियत है। प्रकरण 10 वर्षों से लंबित है, ऐसी स्थिति में साक्ष्य वादी बंद की गयी, पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गयी। दिनांक 29.09.2022 को डी.डब्ल्यू—1 कानाराम का शपथ पत्र साक्ष्य का पेश किया गया, वादी ने प्रतिवादी के गवाह से जिरह नहीं की तथा दिनांक 26.12.2022 को नियत की गयी, परंतु जिरह करने वादी अधिवक्ता न्यायालय में नहीं आये तथा दिनांक 27.12.2022 को भी गवाह हाजिर रहा, परंतु बार—बार आवाज लगाने पर भी वादी व वादी के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय का समय समाप्त होने पर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वादी का कथन है की पत्रावली तलबी में थी, गलत कथन अंकित किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। भवानीसिंह ने अपना शपथ पत्र साक्ष्य का प्रस्तुत किया है, उसके पश्चात् जिरह के लिए नहीं आया, जिरह बंद की गयी तथा प्रतिवादी साक्ष्य में पत्रावली नियत की गयी। माह नवम्बर, 2022 में पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य के लिए थी तथा वादी अधिवक्ता ने जिरह नहीं की तथा न्यायालय में नहीं आने से वाद खारिज किया गया है, वादी की साक्ष्य दिनांक 13.09.2022 को ही बंद कर दी गयी थी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण जानबूझकर न्यायालय में नहीं आये है तथा प्रतिवादी को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी कब स्वस्थ हुआ, इसका कोई स्पष्ट

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

अंकन इस पैरा में अंकित नहीं किया गया है और ना ही फिटनेस प्रमाण पत्र पेश किया गया है, दावा दिनांक 27.12.2022 को खारिज किया गया है तथा बाजदायरी प्रार्थना पत्र 30 दिन मे पेश होना चाहिए, मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिये कोई मियाद क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादी जिरह के लिए नहीं आया, जिरह बंद की गयी तथा प्रतिवादी साक्ष्य में पत्रावली नियत की गयी। माह नवम्बर, 2022 में पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य के लिए थी तथा वादी अधिवक्ता ने जिरह नहीं की तथा न्यायालय में नहीं आने से वाद खारिज किया गया है, वादी की साक्ष्य दिनांक 13.09.2022 को ही बंद कर दी गयी थी, इसलिए वादी ने जानबूझकर उक्त वाद पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करवाया है, इसलिए नरम रूख अपनाये जाने की विधिक मंशा नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मुख्य कथन रहा की प्रार्थीगण एक ग्रामीण परिवेश की काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थी भवानीसिंह की प्रकरण की देखरेख करता था वह अचानक नवम्बर 2022 में गंभीर रूप से बीमार हो गया, तथा चलने फिरने में कतई असमर्थ रहा जांच कराने पर मालूम हुआ कि पैर में नस का ऑपरेशन एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर में दिनांक 27.01.2023 को हुआ तथा उसको दिनांक 10.02.2023 को हॉस्पीटल से डिस्चार्ज किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने टेलिफोन का सॉफ्टवेयर चैंज करवाया था उसमें सारे नंबर हट गये जिस कारण प्रार्थी को सुचित नहीं कर सकें, ना ही पत्रावली पर टेलिफोन नंबर थे। साक्ष्य हेतु प्रार्थी का आने का इंतजार करते रहे। किंतु न्यायालय ने अंतिम अवसर दे दिया तथा उसके बाद वाद दिनांक 27.12.2022 को खारिज कर दिया। जिससे वादी/प्रार्थीगण अपने साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी साबित नहीं

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कर पाया। प्रार्थी वाद ने अपना शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में बीमारी होने से पूर्व में पेश कर दिया था जिसे पत्रावली जिरह हेतु नियत थी। लेकिन गवाह नहीं आने से जिरह बंद कर दी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता प्रार्थी के नहीं आने से उपस्थित नहीं हुये, जो सद्भाविक कारण है। प्रार्थी के वाद को पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायहित में है। प्रार्थीगण अपनी सद्भाविक गलती का हर्जा भुगतने को तैयार है। प्रार्थी जैसे ही स्वस्थ हुआ स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश की। जिससे प्रार्थीगण की कोई बदनियति नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया की माह नवम्बर, 2022 में पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य के लिए थी तथा वादी अधिवक्ता ने जिरह नहीं की तथा न्यायालय में नहीं आने से वाद खारिज किया गया है, वादी की साक्ष्य दिनांक 13.09.2022 को ही बंद कर दी गयी थी। प्रार्थीगण जानबूझकर न्यायालय में नहीं आये है तथा प्रतिवादी को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थी कोई बीमार नहीं था तथा प्रार्थी कब स्वस्थ हुआ, इसका कोई स्पष्ट अंकन अंकित नहीं किया गया है और ना ही फिटनेस प्रमाण पत्र पेश किया गया है, दावा दिनांक 27.12.2022 को खारिज किया गया है तथा बाजदायरी प्रार्थना पत्र 30 दिन मे पेश होना चाहिए, मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिये कोई मियाद क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

दौराने बहस किये गये कथनो एवं वादपत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी के साथ देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर माफी हेतू प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थी ने बाजदायरी प्रार्थना पत्र 6 महिने उपरान्त पेश किया है। प्रार्थी/ वादी ने नवम्बर 2022 में गंभीर रूप से बीमार हो जाने के संबंध में अस्पताल से संबंधित

सहायक कलक्टर
आमेर न., जयपुर

दस्तावेजात पेश किये है। जिससे यह साबित है कि प्रार्थी ने बीमार हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सके। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी/वादी जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे हैं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2022(2)RRT 1271, 2015(1)RRT82, 2017 (1) RRT 117, 2017(2)WLC(Raj) UC 246 H.C., 2012 (2)WLC (RAJ)63 H.C., 2014 (1)WLC (S.C)CIVIL 695, 2009 WLC (RAJ) U.C. 637 H.C., 2012 (4) WLC (RAJ)163 H.C. पेश किया। न्यायिक दृष्टांत 2022(2)RRT 1271 में प्रतिपादित किया गया है कि वाद का रेस्टोरेशन 9 वर्ष बाद पेश किया वाद खारिज किया गया। 2015(1)RRT 82 में प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट ने 10 अवसर देने के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं की तथा इसके लिए स्पस्टीकरण नही दिया अपील खारिज की गई। 2017 (1) RRT 117 अपील 2344 दिनो का विलम्ब प्रार्थी की निष्क्रियता पर उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। विलम्ब का स्पष्ट कारण नहीं। अपील खारिज की।

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टोंतो पर विवेचन किया गया। उक्त सभी में प्रार्थीगण या अपीलाण्ट ने कोई ठोस कारण विलम्ब का नहीं दिया। परन्तु इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपने मेडिकल दस्तावेजो से साबित किया है कि वह जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः लागू नहीं होते है। *परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में स्पष्ट अंकन है कि विलम्ब को माफ करना – बाह्य "पर्याप्त कारण" – उदार रूख अपनाया जाना चाहिये। (Limitation Act, 1963- Section 5- Condonation of delay- Expression " sufficient cause"- Liberal view should be taken.)*

प्रार्थी/वादी ने साबित किया है कि वह जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 धारा 151 सीपीसी, 1500/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार कर मूलवाद 167/2012 बउनवानी बन्ने सिंह बनाम रामनिवास

सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

वगै पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर